1.	योजना का नाम	विशेष योग्यजन पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने हेतु एकमुश्त राशि प्रदान करने की योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	पेंशनधारी विशेष योग्यजन व्यक्ति यदि स्वावलम्बी बनने के उद्देश्य से अपना व्यवसाय करना चाहें, तो उसे मासिक पेंशन बंद कर एक मुश्त 15,000/- की राशि प्रदान करने की योजना।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2007-08
4.	लाभान्वित वर्ग	विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	1. आवेदक कोष कार्यालय से विशेष योग्यजन पेंशनधारी व्यक्ति होना चाहिये। 2. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिये। 3. आवेदक विशेष योग्यजन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन हो।
6.	देय सुविधाएं	आवेदक को विशेष योग्यजन पेंशन के स्थान पर एक मुश्त रुपये 15,000/- का भुगतान किया जायेगा।
7.	आवेदन का तरीका	आवेदक जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करके अपना विकल्प प्रस्तुत करते हुए मय फोटो, पीपीओ एवं व्यवसाय का नाम अंकित करना होगा।
8.	आवेदन कहां किया जावे	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आवेदक जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आवेदन करेगा। विभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित पीपीओ को कोष कार्यालय में प्रस्तुत कर पीपीओ को रद्द करने के आदेश जारी होने के पश्चात् एक माह के भीतर आवेदक को एकमुश्त 15,000/- का भुगतान चैक/डीडी के द्वारा कोषाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
10.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।